रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03082022-237864
SG-DL-E-03082022-237864

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380]	**दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2022/श्रावण 11, 1944**	**[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 210**
No. 380]	**DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2022/SHRAVANA 11, 1944**	**[N. C. T. D. No. 210**

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय–I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 अगस्त, 2022

संख्या 08/2022–राज्य कर

सं. फा. 03(14)/वित्त(व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/662.––राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 148 के साथ पठित धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जिन्हें प्ररूप जीएसटीआर–8 में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था, लेकिन वे उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्ट में उल्लिखित महीने के लिए उक्त विवरण नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहे थे, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्ट में उल्लिखित अवधि के लिए, प्रति वर्ष ब्याज की दर 'शून्य' अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :–

सारणी

क्र. सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग	मास	वह अवधि जिसके लिए ब्याज शून्य होगा
(1)	(2)	(3)	(4)
	इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जो निम्नलिखित माल और सेवा कर पहचान संख्या रखते हैं, जो पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ के कारण नियत तारीख तक दिसंबर, 2020 महीने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दाखिल नहीं कर सके थे लेकिन उन्होंने उक्त माह के लिए धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन एकत्रित कर, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित कर दिया था, अर्थात् :– 1. 07AABCB3428P1CS 2. 07AACCO1714E1C8 3. 07AADCI2004E1CK 4. 07AAACZ8318D1CN 5. 07AADCD4946L1CN 6. 07AAECC3074B1CF 7. 07AAKCA6148C1C4 8. 07AACCF0683K1CU 9. 07AAICA3918J1CV	दिसंबर, 2020	उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन एकत्रित कर इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित करने की तारीख से धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दाखिल करने की तारीख तक
2.	इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जो निम्नलिखित माल और सेवा कर पहचान संख्या रखते हैं, जो पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ के कारण नियत तारीख तक स्तंभ (3) में उल्लिखित महीनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दाखिल नहीं कर सके थे लेकिन उन्होंने उक्त महीनों के लिए धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन एकत्रित कर इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित कर दिया था, अर्थात् :– 1. 07AAHCP1178L1CD 2. 07AADCM5146R1C8	सितंबर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवंबर, 2020, दिसंबर, 2020 और जनवरी, 2021	उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन एकत्रित कर इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित करने की तारीख से धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दाखिल करने की तारीख तक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनोज कुमार, उपसचिव–I (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

Notification

Delhi, the 2nd August, 2022

No. 08/2022-State Tax

No. F. 3 (14)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/662.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 read with section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of interest per annum to be 'Nil', for the class of registered persons mentioned in column (2) of the Table given below, who were required to furnish the statement in **FORM GSTR-8**, but failed to furnish the said statement for the months mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table by the due date, for the period mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:–

TABLE

Sl. No.	Class of registered persons	Months	Period for which interest is to be Nil
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Electronic commerce operators having the following Goods and Services Tax Identification Numbers	December, 2020	From the date of depositing the tax collected under sub-section (1) of

	who could not file the statement under sub-section (4) of section 52 of the said Act, for the month of December, 2020, by the due-date, due to technical glitch on the portal but had deposited the tax collected under sub-section (1) of section 52 for the said month in the electronic cash ledger, namely:– 1. 07AABCB3428P1CS 2. 07AACCO1714E1C8 3. 07AADCI2004E1CK 4. 07AAACZ8318D1CN 5. 07AADCD4946L1CN 6. 07AAECC3074B1CF 7. 07AAKCA6148C1C4 8. 07AACCF0683K1CU 9. 07AAICA3918J1CV		section 52 of the said Act in the electronic cash ledger till the date of filing of statement under sub-section (4) of section 52.
2.	Electronic commerce operators having the following Goods and Services Tax Identification Numbers who could not file the statement under sub-section (4) of section 52 of the said Act for the months mentioned in column (3), by the due-date, due to technical glitch on the portal but had deposited the tax collected under sub-section (1) of section 52 for the said months in the electronic cash ledger:– 1. 07AAHCP1178L1CD **2.** 07AADCM5146R1C8	September,2020, October, 2020, November, 2020, December, 2020 and January, 2021.	From the date of depositing the tax collected under sub-section (1) of section 52 of the said Act in the electronic cash ledger till the date of filing of statement under sub-section (4) of section 52.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANOJ KUMAR, Dy. Secy. I (Finance)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.08.03 16:52:50 +05'30'